

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपनगर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 586/14-1, दिनांक अलीगढ़: अगस्त 5-9-2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:

एटा में टूण्डला एटा मार्ग एस.एच.-31 के कि.मी. 26.088 की बांयी पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ का पत्रांक 8वीं/06/29/2016/एफ0सी0/33 दिनांक 18.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद एटा में टूण्डला एटा मार्ग एस.एच.-31 के कि.मी. 26.088 की बांयी पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र), लखनऊ द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव प्रभावी निदेशक, एटा के कार्यालय पत्रांक 320/14-1, दिनांक 23.08.2016 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। आपत्तियों पर आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है:-

S. No.	Observation of GOI	Reply
1.	इस कार्यालय के पत्रांक 11/मिस0/618/2010 यूपी0राज0/572 दिनांक 13.08.2015 द्वारा चाही गयी शूचना की अनुपालन आख्या अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है, जिसकी पूर्ण अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।	Not concerned with the division/Circle.
2.	As per the details provided at A1 (ix) Part-I, the non forest land required for the proposal is shown NIL which appears to be incorrect.	The non forest land required is 0.1225 hect. which has been marked.
3.	The geo referenced map of the proposed forest land diversion at page number 31 does not have adequate GPS coordinates for curvilinear portion.	The GPS coordinates for curvilinear portion in geo referenced map of the proposed forest land diversion at page number 31 have been marked.
4.	The area of the forest land proposed for diversion has been wrongly calculated and does not match with layout plan provided.	The area of forest land proposed for diversion has been calculated 0.075038 hect. as per site layout plan & has been modified in proposed format in place of 0.0922976 hect.
5.	The forest land notification has not been authenticated by the concerned forest officials.	The forest land notification has already been authenticated through attestation by the then Divisional Director, Social Forestry Division, Etah (U.P.)
6.	In part-II at Sr. No. 5 the working plan prescription for proposed forest land has been mentioned as "No" data	Data for the working plan prescription for proposed forest land has been mentioned In part-II at Sl. No. 5.
7.	In part I at Sr. No. 6 note for vulnerability to erosion in mentioned as "No"	"Vulnerability to erosion" relates with Sl. No. 6 of part II. 'No' means that the area in question is not vulnerable to erosion, this situation is correct.
8.	NPV calculation at page 59 is incorrect.	NPV calculation has been corrected and the same is attached with the proposal at page no. 60
9.	Maps appended at page 54, 55, 56 and 57 have not been signed by the user agency	Maps appended at page 54, 55, 56 and 57 have been signed by the user agency.

10.	Site suitability certificate for compensatory forestation is not as per approved format.	Site suitability certificate for compensatory afforestation has been attached as per approved format.
-----	--	---

उक्त तालिका के बिन्दु सं० 4 के क्रम में पत्रावली के निम्न अभिलेखों में अंकित 0.092976 हे० के स्थान पर संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल 0.075038 हे० पढ़ा जाये।

क्र.सं.	अभिलेखों का विवरण	प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या
1	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	35
2	स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	38
3	एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र	39
4	लीज अवधि प्रमाण पत्र	40
5	अनुबन्ध पत्र	41
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बचनबद्धता	42
7	एन.पी.वी. की बचनबद्धता	43
8	भूमि-स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र	44
9	मानक शर्तें	45
10	भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.07.2014 पर आख्या	48
11	वन स्वरूप क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र	53
12	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्राक्कलन	58

उक्त के क्रम में संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक:- / 14-1 समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्रांक 320/14-1 दिनांक 23.08.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रबन्धक, एस्सार आयल लि०, ए-5 सेक्टर-3 नोएडा उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।